

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, टोंक

(शिवचरण मीना, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या:-

05 / 2023

प्रविष्टि दिनांक:-

30.01.2023

कैलाश पुत्र धन्ना जाति माली निवासी देवपुरा ढाणी ग्राम पंचायत दूनी तहसील दूनी
जिला टोंक

..... अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार दूनी जिला टोंक

..... रेस्पोंडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार दूनी दिनांक 28.12.2022 मिसल संख्या 556 / 2022

उपस्थित: (1) श्री पंकज कुमार, अभिभाषक अपीलाण्ट

(2) रामप्रसाद कुमावत, परोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 10.04.2023

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार दूनी ने अपने आदेश दिनांक 28.12.2022 द्वारा अपीलांट को भूमि खसरा नम्बर 1426 में से रकबा 1.25 हैक्टर किस्म चरागाह व भूमि खसरा नम्बर 1672 में से 0.35 हैक्टर किस्म चरागाह वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी का अतिक्रमी मानकर 90 दिवस के सिविल कारावास व लगान राशि 12.80 रूपये का 50 गुना पेनल्टी जुर्माना राशि 640/- रूपये आरोपित कर अपीलांट को भूमि से बेदखल किए जाने का निर्णय पारित किया है। इस निर्णय को विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

प्रकरण मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश अपीलांट की विधिवत रूप से प्रोपर तामिल कराये बिना एवं अपीलांट को सुनाववाई का कोई अवसर दिए बिना एक तरफा में पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हलका के सशपथ बयान लिये बिना, अतिक्रमण वाली जमीन के नजदीक के खातेदारों के बयान लिए बिना व बिना मौके पर गये निर्णय पारित किया है व मौके पर वास्तविक रूप से बिना जांच किये उक्त निर्णय पारित किया है जो विधि विरुद्ध है। अपीलांट का खसरा नम्बर 1426 च 1672 या अन्य किसी भी गैर मुमकिन चरागाह या सरकारी जमीन पर न तो पहले कब्जा था और न ही वर्तमान में कब्जा है। उक्त निर्णय छपे छपाये प्रोफार्मा में एक ही निर्णय पारित किया है, जो स्पिकिंग आर्डर की परिभाषा में नहीं आता है। भूमि आराजी खसरा नम्बर 1426 व 1672 का रकबा बहुत बड़ा रकबा है तथा प्रार्थी अपीलांट का उक्त भूमि के किस भाग पर तथा कितना कब्जा किस और है, साबित हुए बिना अपीलांट के विरुद्ध यह निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट



बहिर्विषय जिला कलेक्टर,
टोंक

ने निर्णय में आरोपित पेनल्टी राशि जमा करा दी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है किन्तु अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अतिक्रमी ने खसरा नम्बर 1426 में से रकबा 1.25 हैक्टर किस्म चारागाह व भूमि खसरा नम्बर 1672 में से 0.35 हैक्टर किस्म चरागाह वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी पर संवत् 2079 फसल रबी में सरसों की बुवाई कर अनाधिकृत कब्जा करके अतिक्रमण किया है। अपीलांट द्वारा पूर्व में भी उक्त चरागाह भूमि पर फसल काशत कर अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दूनी द्वारा मिसल संख्या 471/2022 दिनांक 17.10.2022 से निर्णय पारित किया जाकर बेदखल किया गया था जिससे सिद्ध होता है कि अतिक्रमी सार्वजनिक उपयोग की राजकीय चरागाह भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने के आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अपील अपीलांट खारिज की जावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है किन्तु अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। पटवारी हलका के रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1426 में से रकबा 1.25 हैक्टर किस्म चारागाह व भूमि खसरा नम्बर 1672 में से 0.35 हैक्टर किस्म चरागाह वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी पर संवत् 2079 रबी में सरसों की बुवाई कर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर कब्जा किया था जिसे तहसीलदार दूनी द्वारा मिसल संख्या 471/2022 दिनांक 17.10.2022 से निर्णय पारित किया जाकर बेदखल किया गया था। अतिक्रमी सार्वजनिक उपयोग की राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करने के आदी है। इस संबंध में तहसीलदार दूनी से भूमि की मौका स्थिति रिपोर्ट तलब की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार अपीलांट ने सरसों की फसल काशत कर अतिक्रमण किया था। वर्तमान में फसल काट ली गई हैं एवं भूमि पडत हैं। अतिक्रमि भूमि सार्वजनिक उपयोग की चरागाह भूमि हैं जो राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में विहित सार्वजनिक उपयोग की प्रतिबन्धित राजकीय भूमि है, उक्त भूमि पर अपीलांट बार-बार अतिक्रमण कर फसल काशत कर रहा है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.12.2022 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(शिवचरण शीना)
अतिरिक्त जिला कोर्ट
अति.जिला कोर्ट, टोक